

माननीय अध्यक्ष: आइटम नंबर 20, माननीय मंत्री जी ।

20.55 hrs

Appropriation Bill (No. 2), 2025

THE MINISTER OF FINANCE; AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS

(SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): I rise to move for leave to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2024-25.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

?कि वित्तीय वर्ष 2024-25 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।??

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी विधेयक को पुर: स्थापित करें ।

? (व्यवधान)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I introduce* the Bill.

21.00 hrs

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर - 21, माननीय वित्त मंत्री जी ।

THE MINISTER OF FINANCE; AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I rise to move:

?That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2024-25, be taken into consideration.?

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

?कि वित्तीय वर्ष 2024-25 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी ।

प्रश्न यह है:

?कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

अनुसूची को विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए ।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I beg to move:

?That the Bill be passed.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

?कि विधेयक पारित किया जाए ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
